

शैखे तरीकत, अमरी अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना
मुहम्मद इल्यास अंतार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتُهُمْ أَعَلَيْهِمْ رَحْمَةً के मल्फूज़ात का तहरीरी गुलदस्ता

मुलाज़िमत

के बारे में 15 सुवाल जवाब

सफ़हात 18



- ड्यूटी पर न जाना और तनख़्वाह लेना कैसा ? **02**
- पेशकश : **06**
- मुलाज़िम और सेठ के हुकूक **10**
- मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया **10**
- रोज़े में मुलाज़िम से आम दिनों की तरह काम लेना **10**
- सरकारी पोस्ट वाले के तहाइफ़ का हुक्म **15**

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया
(दावते इस्लामी इन्डिया)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ النُّبُوٰتِ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ السَّيِّطِنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार क़ादिरी रज़वी दाम्ते गायी

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले नीचे दी हुई दुआ पढ़ लीजिये अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार क़ादिरी रज़वी जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ ये है :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلْتُشْرِقْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह पाक ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले । (स्टेट्रेट ज १४, دار الفکریروت)

नोट : अब्बल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये ।

तालिबे गमे मदीना
व बकीअ
व मार्फ़त
13 शब्वालुल मुकर्रम 1428 हि.



नामे रिसाला : मुलाज़मत के बारे में 15 सुवाल जवाब

सिने तबाअत : जुमादल ऊला 1445 हि., नवेम्बर 2023 ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : मक्तबतुल मदीना

मदनी इलित्जा : किसी और को ये हर रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है ।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा 'वते इस्लामी इन्डिया)

ये हर रिसाला “मुलाज़िमत के बारे में 15 सवाल जवाब”

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में मुरक्कतब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़े Whatsapp, Email या SMS) मुत्तलअ फरमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

મકટબતુલ મરીના, સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ્ કી મસ્જિદ કે સામને,
તીન દરવાજા, અહમદાબાદ-૧, ગુજરાત ।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

क्रियामत के रोज़ हसरत

फरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हँसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)।

किताब के खरीदार मतवज्जेह हों

किताब की तबाहत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़्हात कम हों या बाइर्न्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतल मदीना से रुजूअ फरमाये ।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَاتَمِ النَّبِيِّنَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مुलाज़मत के बारे में 15 सुवाल जवाब^(۱)

दुआए ख़लीफ़ए अ़त्तार : या रब्बल मुस्त़फ़ा ! जो कोई 16 सफ़हात का रिसाला : “मुलाज़मत के बारे में 15 सुवाल जवाब” पढ़ या सुन ले उसे रिझ़के ह़लाल कमाने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमा और उस की वालिदैन समेत बे हिसाब मग़िफ़रत फ़रमा ।

امين بجاو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

दुरुदे पाक न पढ़ने का वबाल

मुसल्मानों की प्यारी प्यारी अम्मीजान, हज़रते बीबी आइशा सिद्दीक़ा सहरी के वक्त कुछ सी रही थीं कि अचानक सूई गिर गई और चराग़ भी बुझ गया, इतने में हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तशरीफ़ ले आए, चेहरए अन्वर की रोशनी से सारा घर रोशन हो गया यहां तक कि सूई मिल गई, उम्मुल मुअमिनीन رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह ! आप का चेहरए अन्वर कितना रोशन है ! हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : उस शख्स के लिये हलाकत है जो मुझे क़ियामत के दिन न देख सकेगा । अर्ज़ की : वोह कौन है जो आप को न देख सकेगा ? फ़रमाया : वोह बख़ील (कन्जूस) है । पूछा : बख़ील कौन ? इर्शाद फ़रमाया : जिस ने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरुदे पाक न पढ़ा ।

(القول البدع، ص 302)

① ... येर हरिसाला अमरे अहले सुन्त दामث بِرَبِّكُمْ اَعْلَمُ
जवाबात पर मुश्तमिल है ।

सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे शाम को सुहँ बनाता है उजाला तेरा
(जैके ना'त, स. 25)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ * * * صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

सुवाल : एक शख्स गवर्नमेन्ट मुलाजिम है मगर ड्यूटी पर नहीं जाता और हर महीने पहली को तनख़्वाह ले लेता है, क्या उस का येह तरीक़ा दुरुस्त है ? और वोह सदक़ा व खैरात भी करता रहता है, क्या उस का खैरात करना जाइज़ है ?

जवाब : अगर वोह ड्यूटी नहीं देता और धोके से तनख़्वाह बटोर लेता है तो येह पूरी की पूरी तनख़्वाह ह्राम है। (फ़त्वावा रज़िविय्या, 19/407 माखूज़न, हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल, स. 20, 21 मुलख़्बसन) इस के ज़रीए ज़कात ख़ैरात भी नहीं कर सकता क्यूं कि येह उस के पैसे हैं ही नहीं, न येह इन का मालिक है अगर्चे इन पर क़ब्ज़ा उसी का हो, उस पर फ़र्ज़ है कि जहां से येह रक़म बटोरी (ली) है वहां वापस करे और साथ साथ तौबा भी करे। (फ़त्वावा रज़िविय्या, 19/656, 661, मल्कान्नान, मल्कान्नान आप्से अन्तर्गत 4/295)

सुवाल : ना बालिग् से पानी भरवाना कैसा है ? क्या उस्ताद उस से पानी भरवा सकता है ?

जवाब : वालिदैन या सेठ जिस का येह मुलाज़िम है उस के सिवा किसी के लिये ना बालिग् से पानी भरवाना जाइज् नहीं और ना बालिग् का भरा हुवा पानी जो कि शर्अन उस की मिल्क हो जाए किसी और के लिये उस को इस्त'माल में लाना जाइज् नहीं। (सेठ भी सिर्फ इजारे के अवकात ही में भरवा सकता है) उस्ताद के लिये भी येही हुक्म है कि ना बालिग् शागिर्द से पानी नहीं भरवा सकता नीज उस के भरे हए को काम में भी नहीं ला

سکتا । हज़रते اُلّامा مौلانا مُفْتی مُحَمَّد امجد اُلّی آ'جِمی
فَرَمَاتَهُنَّا فَرَمَاتَهُنَّا : نَا بَا لِي گُ کَا بَرَا هُوْ وَا پَا نِی کِ شَرْعَانُ عَسَلَتْهُنَّا
مِلْكٌ هُوْ جَا اَءِ، عَسَلَتْهُنَّا پِي نَا يَا وُجُوْ يَا گُو سَلَ يَا کِسَی کَا مَمَ مِنْ لَا نَا، عَسَلَتْهُنَّا
کِمَانْ بَا پَ يَا جِی سَ کَا وَوَهُ نُو کَرَ هُوْ عَسَلَتْهُنَّا سِی وَا کِسَی کَوَ جَادِی نَهْنَهِ،
اَغَرْچَے وَوَهُ (نَا بَا لِي گُ) اِجَا جَتَ بَھِ دَے دَے، اَغَرَ وُجُو کَرَ لِی وَا تَوَوَجُو هُو
جَا اَءِगَا اُوَرَ گُونَهَگَارَ هَوَگَا، يَهَانَ سَے مُعَلِّمَیِنَ (يَا'نِی اَسَاتِیِنَ) کَوَ
سَبَکَ لَئَنَا چَاهِیَے کِ اَکَسَرَ وَوَهُ نَا بَا لِي گُ بَچَوَنَ سَے پَا نِی بَرَوَا کَرَ
اَپَنَے کَا مَمَ مِنْ لَا نَا کَرَتَهُنَّا ।

(बहारे शरीअत, 1/334, हिस्सा : 2, मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 1/57)

सुवाल : क्या येह एहतियात् करनी चाहिये कि जब सेठ अपने मुलाज़िम को अच्छा सा निवाला दे तो फिर उस के बा'द कोई बड़ा काम न ले वरना उसे यूं लगेगा कि कोई काम करवाना था तब ही मुझे येह निवाला खिलाया है वरना रोज तो नहीं खिलाता ?

जवाब : सेठ एक निवाला खिलाए या पूरी थाली या कुछ भी न खिलाए मगर वोह इतना कर सकता है कि इजारे (नोकरी में) और उर्फ़ से हट कर नोकर से काम न ले। उर्फ़ के अन्दर रहते हुए बड़ा काम हो या छोटा वोह तो सेठ लेगा क्यूं कि वोह इसी के पैसे दे रहा है। निवाला न भी खिलाए जब भी वोह काम तो लेगा। (मल्फजाते अमीरे अहले सन्तत, 2/402)

सुवाल : मुलाजिम के तअ्लुक़ से दिल में तकब्बुर न आए, इस का हळ इशाद फरमा दीजिये ।

जवाब : सेठ मुलाजिम पर शफ़्क़त करे, उस पर सख़ावत करे, जैसे उम्दा कपडे खुद लिये एक जोड़ा उस को भी सिलवा दे। इसी तरह ईद के मौक़अ

पर थोड़ा दिल खोल कर दे, अगर कभी अच्छी गिज़ा पकाई तो उसे भी पेश कर दे। जिस फल का सीज़न आया मसलन आम है तो उस की पेटी दे दे। बक़र ईद आई, खुद कुरबानी करता है तो एक बकरा कटाई की कीमत के साथ मुलाज़िम को दे दे ताकि उस के बच्चे भी खुश हो जाएं। बकरे का उस को मालिक कर दे या येह कह दे कि सरकार ﷺ मुलाज़िम के तरह से तुम कुरबानी कर देना। इस तरह शफ़्क़त देंगे तो ﷺ मुलाज़िम के तअल्लुक़ से तकब्बुर क़रीब नहीं आएगा। अपनी औलाद के साथ बन्दा इस तरह की शफ़्क़त करता ही है तो अपने मुलाज़िम के साथ भी करनी चाहिये। नौकर बेचारा ऐसी ख़िदमत कर रहा होता है कि औलाद भी ऐसी ख़िदमत बसा अवकात नहीं करती। येह बात तस्लीम है कि मुलाज़िम पैसे ले कर ख़िदमत करता है लेकिन औलाद को भी तो बन्दा पैसे देता है। फिर येह क्या बात है कि मुलाज़िम को ह़कीर समझते हैं और औलाद को आँखों पर बिठाते हैं। ठीक है औलाद को भी प्यार दें, सिलए रेहमी उन का भी ह़क़ है लेकिन मुलाज़िमीन के साथ भी अच्छा रवथ्या अपनाएं। अल्लाह पाक ने आप को साहिबे हैसिय्यत (मालदार) बनाया है जभी आप ने 10 मुलाज़िम रखे हैं तो खुद को उन की जगह रख कर सोचें कि अगर आप मुलाज़िम होते तो अपने साथ किस किस्म का रवथ्या पसन्द करते? जब आप मुलाज़िमीन का ख़्याल रखेंगे तो येह ﷺ टूट कर आप की ख़िदमत करेंगे और ऐसी वफ़ादारी का इज़हार करेंगे कि शायद औलाद भी ऐसा न करे। आप के लिये जान तक कुरबान कर देंगे। बिलफ़र्ज़! अगर कोई मुलाज़िम बे वफ़ा भी निकला तो औलाद भी बे वफ़ा निकलती है और अपने बालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ आती है, पैसे ले कर भाग जाती है

या वालिद के नाम पर क़र्ज़े ले कर भाग जाती है। औलाद भी तो इस्लामी तरबियत न होने की वजह से ऐसा बहुत कुछ कर रही होती है। इस्लामी घरानों में ऐसे वाकिअ़ात सुनने को नहीं मिलते लेकिन मोडर्न और सिफ़् दुन्यवी ता'लीम देने वाले मालदारों के यहां इस तरह के वाकिअ़ात ज़ियादा होते हैं। ग्रीबों और मज़हबी घरानों में निस्बतन ऐसा कम होता है।

(मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 2/404)

सुवाल : मैं एक इदरे में काम करता हूं जहां सेठ की तरफ से मुझ समेत किसी भी मुलाज़िम को मस्जिद में बा जमाअत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ऐसी सूरते हाल में जमाअत छोड़ने का गुनाह किस के ज़िम्मे है ?

जवाब : जहां मस्जिद मौजूद हो और जमाअत से नमाज़ पढ़ने में कोई शरद्दी उच्च भी न हो तो वहां बा जमाअत नमाज़ अदा करना वाजिब है। अब अगर कोई सेठ अपने मुलाज़िमीन को बा जमाअत नमाज़ पढ़ने से रोकेगा तो वोह और जमाअत छोड़ने वाले मुलाज़िमीन सब ही गुनहगार होंगे और ऐसी मुलाज़मत करना भी जाइज़ न होगा। बा'ज़ मक़ामात ऐसे होते हैं कि जहां मीलों मील तक मसाजिद ही नहीं होतीं तो ऐसी जगहों पर जमाअत वाजिब नहीं होती। अलबत्ता ऐसी सूरत में अगर सेठ नमाज़ पढ़ने से भी रोकता हो जिस के बाइस मुलाज़िमीन नमाज़ न पढ़ते हों तो ऐसी नोकरी ही जाइज़ नहीं। (जहान्नम के खतरात स 192 मल्फजाते अमीरे अबले मन्त्रत 3/355)

(जहन्म के खुतरात, स. 192, मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/355)

सुवाल : ऑफिस की चीजें मसलन प्रिन्टर और फोटो कॉपी मशीन वगैरा को अगर कोई मुलाज़िम अपने जाती इस्ति'माल में लाना चाहे तो किस से इजाजत लेना ज़रूरी होगी ?

जवाब : अगर वक़्फ़ की चीजें हैं तब तो किसी से इजाज़त लेना काफ़ी न होगा और अगर प्राइवेट हैं तो अस्ल मालिक या जिसे उस ने अपना नुमाइन्दा बनाया हो और इख्तियार दिया हो उस की इजाज़त से इस्ति'माल कर सकते हैं। बा'ज़ अवक़ात अस्ल मालिक की तरफ़ से मेनेजर और इस तरह के बड़े ओहदे दारान को छोटी मोटी चीज़ों के इख्तियारात दिये जाते होंगे लिहाज़ा अगर उन्हें इख्तियारात दिये हुए हैं तो उन से इजाज़त ले कर इस्ति'माल कर सकेंगे वरना इस्ति'माल नहीं कर सकते। (मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/362)

सुवाल : आज कल जियादा तर मुलाज़िमीन के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता, सेठ किसी मुआमले में उन के साथ तआवुन नहीं करते और अगर मुलाज़िम को कोई मस्अला हो तो उसे हळ नहीं करते, यूं मुलाज़िमीन बड़ी मुश्किल में होते हैं, मुलाज़िमीन के हुकूक के हवाले से कुछ राहनुमाई फरमा दीजिये।

जवाब : मुलाजिमीन के भी हुकूक हैं और सेठ के भी हुकूक हैं। बा'ज़ अवकात सेठ मुलाजिमीन पर जुल्म कर रहा होता है और अगर मुलाजिम ऐसा है कि जिस की सेठ को मोहताजी है, जैसा कि बा'ज़ मुलाजिमीन ऐसे पावरफुल होते हैं कि कारोबार संभाले होते हैं और उन्हें सारे रास्ते पता होते हैं तो यूं वोह बड़े कीमती होते हैं और सेठ को चला रहे होते हैं तो ऐसे मुलाजिमीन बा'ज़ अवकात सेठ को खिलौना बनाए हुए होते हैं लिहाज़ा दोनों तरफ से जो भी जुल्म करेगा वोह गुनाहगार होगा। ज़ियादा तर सेठों की शिकायत की जाती है कि येह लोग जुल्म करते हैं लेकिन हर सेठ ऐसा नहीं होता बल्कि बा'ज़ सेठ ऐसे भी होते हैं जो मुलाजिमीन को औलाद की तरह रखते हैं और उन के साथ हस्ते सुलक से पेश आते हैं। मुलाजिम को

भी चाहिये कि सेठ के साथ अच्छा सुलूक करे, वक़्त पर उसे काम कर के दे और उस के माल, आल औलाद और घर में ख़ियानत न करे। अगर मुलाज़िम का किरदार सुथरा होगा तो सेठ अख़्लाकी तौर पर खुद ब खुद उस के साथ अच्छा रवव्या इख़ितयार करने पर मजबूर हो जाएगा। आम तौर पर ताली दोनों हाथों से बज रही होती है, ताहम सेठ को चाहिये वोह मुलाज़िम का ख़्याल रखे, उसे वक़्त पर तनख़्वाह दे और तनख़्वाह के लिये धक्के न खिलाए मसलन परसों दूंगा या तरसों दूंगा, कर के बेचारे को तंग न करे। जिस त्रह हमारे यहां पहली तारीख़ को तनख़्वाह देने का उर्फ़ है तो पहली तारीख़ को तनख़्वाह दे दे। याद रहे ! जो कम तनख़्वाह वाले मुलाज़िमीन होते हैं, महीने की आखिरी तारीखों में उन की तनख़्वाह ख़त्म हो जाती है और उन पर क़र्ज़े चढ़े होते हैं लिहाज़ा अगर सेठ एहसान करना चाहें तो पहली तारीख़ से दो दिन पहले उन्हें तनख़्वाह दे दें ताकि येह बिचारे अपने क़र्ज़े वग़ैरा उतार सकें लेकिन ऐसा करना सेठों के लिये लाज़िम नहीं है। इसी त्रह सेठों को चाहिये कि ईद और शादी बियाह के मौक़अ़ पर मुलाज़िमीन को तहाइफ़ दें ताकि उन का दिल खुश हो, येह देना अगर्चे फ़र्ज़ नहीं कि अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे लेकिन फिर भी देते रहें। यूं ही सेठ के घर में कोई अच्छी चीज़ पके तो वोह मुलाज़िम को भी खिलाए कि इस त्रह करने से मुलाज़िम खुद ब खुद वफ़ादारी करेगा और सेठ की महब्बत उस के दिल में घर कर जाएगी। अगर सेठ और मुलाज़िमीन एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे तो اللہ اَعْلَمُ! हमारा मुआशरा सही ह हो जाएगा और इस से जुल्म का कल्अ कम्म (ख़ातिमा) होगा।

(मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 3/506)

सुवाल : मैं प्रेस का काम करता हूं, हमारे पास उम्मूमन प्रिंटिंग एजन्सियों वाले अपनी प्लेटें छोड़ जाते हैं और हम ने येह लिख कर लगाया हुवा है कि “15 दिन के बा’द हम जिम्मेदार नहीं होंगे।” इस के बा’वुजूद हम अख्लाकी तौर पर महीने दो महीने तक प्लेटें संभाल कर रखते हैं और उस के बा’द हम उन प्लेटों को ज़ाएअ़ कर देते हैं या बेच देते हैं। येह इर्शाद फ़रमाइये कि हमारा उन प्लेटों को बेचना कैसा है और प्लेटें बिक जाने के बा’द प्लेटों का तकाजा करना कैसा है ?

जवाब : आप की बातों से ऐसा लग रहा है कि प्लेटें वापस लेने और देने का उँक्फ़ है, ऐसी सूरत में आप का येह कह देना कि “15 दिन के बा’द हम जिम्मेदार नहीं हैं” येह शर्त् शर्अन ग़लत् है। जिस की प्लेटें हैं उसे वापस करनी ही होंगी, चाहे वोह 15 दिन बा’द आए, महीने बा’द आए या 100 साल बा’द आए, क्यूं कि मालिक अपनी चीज़ के मुतालबे का हक़ रखता है और अपनी चीज़ मांग सकता है। इस का हल येह है कि जिन की प्लेटें हों उन्हें फ़ोन कर दिया जाए कि “आप की प्लेटें रखी हैं, ले जाइये।” या अगर क़रीबी जगह है तो किसी मुलाज़िम के ज़रीए प्लेटें वहां पहुंचा दें, क्यूं कि आप के लिये येह प्लेटें रख लेना और इस्ति’माल में ले आना जाइज़ नहीं है। अलबत्ता अगर प्लेटों का मालिक कहता है कि “मुझे प्लेटें नहीं चाहिए, तुम ले लो” तो फ़िर आप का लेना जाइज़ हो जाएगा।

(मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/64)

सुवाल : तिजारत करने वाले बा'ज़ लोगों को अगर येह कहा जाए कि आप अपने कारोबार के बारे में शरई राहनुमाई ले लीजिये या दारुल इफ्ता चले जाइये तो वोह कहते हैं कि “न हम झूट बोलते हैं और न ही किसी का पैसा

खाते हैं, पूरी ज़कात भी देते हैं, इस लिये हमें शर्ई राहनुमाई लेना ज़रूरी नहीं है।” इस बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? ⁽¹⁾

जवाब : अगर मैं येह कहूँ कि “इस दौर में 99.9 फ़ीसद Businessman (या’नी ताजिर) ऐसे हैं जिन को Business (या’नी तिजारत) के मसाइल मा’लूम नहीं” तो शायद येह मुबालगा न हो। सिर्फ़ बातें कर रहे होते हैं कि “हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमें ज़ियादा लालच नहीं है, बच्चों के लिये रोज़ी रोटी कमाते हैं बस” हालांकि हराम घसीट घसीट (कमा कमा) कर अपने एकाउन्ट में भर रहे होते हैं और उन्हें इस का पता भी नहीं चलता। येह समझ रहे होते हैं कि “मैं ने कौन सी शराब की दुकान खोली है! या मैं कौन सा सूद का काम कर रहा हूँ!” हालांकि बात बात पर झूट बोल रहे होते और धोका दे रहे होते हैं। इन चीज़ों को येह Serious (सन्जीदा) ही नहीं लेते, समझते हैं कि “कारोबार में येह सब चलता है, इन चीज़ों के बिगैर कारोबार कैसे होगा! झूट न बोलो तो चीज़ बिकती ही नहीं है” ﷺ ! येह शैतान का बनाया हुवा ज़ेहन है। जब येह हाल होगा तो बरकत कैसे होगी? नमाज़ों में दिल कैसे लगेगा? खुशूओं खुज़ूअ़ कैसे आएगा? रिक़्वर्ट कैसे आएगी? गुनाहों से नफ़्रत कैसे बढ़ेगी? जो कारोबारी हज़रात मुझे सुन रहे हैं वोह “दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत” से अपने कारोबार की Scanning (या’नी तफ़्तीश) करवा लें, इस के लिये बा क़ाइदा हाजिर होना पड़ेगा या अगर हाजिर होना मुम्किन नहीं तो इन्टरनेट वगैरा के ज़रीए ही राबिता कर लें और अपने कारोबार की शर्ई राहनुमाई लें। इस के बिगैर अपने बाल बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाना बहुत मुश्किल है। मैं

¹... येह सुवाल शो’बा मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत ने क़ाइम किया है जब कि जवाब अमीरे अहले सुन्नत ^{العاليه} دامت برکاتہن

ने बिल्कुल दोटोक और जनरल बात की है, किसी के कारोबार पर कोई हुक्म नहीं लगाया। सब को मसाइल सीखने चाहिए। मुलाज़िम हैं तो मुलाज़मत के और सेठ हैं तो मुलाज़िम रखने और सेठ बनने के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। (फ़तावा रज़िविया, 23/623, 626 मुलख़्ब़सन) अगर ये ह कहेंगे कि “यार ! हम इस चक्कर में नहीं पड़ते” तो कियामत के दिन भी कह देना कि “हम इस चक्कर में नहीं पड़ते !” اللَّهُمَّ إِنِّي تَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْ دَأَبَ إِلَيْكَ مُسَلِّمًا हैं तो हमें अल्लाह व रसूल के अहकामात मानने ही पड़ेंगे, इस के बिगैर छुटकारा नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम हम को कोशिश करने वाला बनाए। (मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 5/75)

सुवाल : मुलाज़िमीन से मालिक रोज़े की ह़ालत में आम दिनों की तरह काम लेता हो, एहसास तक न करता हो तो ऐसी सूरत में मुलाज़िमीन को क्या करना चाहिये ?

जवाब : मालिक अपने मुलाज़िमीन को रोज़े की ह़ालत में रिआयत नहीं देता और पूरा काम लेता है तो मालिक को ऐसा करने के बजाए रोज़ेदार के साथ एहसान करना चाहिये।⁽¹⁾ बहर ह़ाल काम की वज्ह से रोज़ा मुआफ़ हो जाए या क़ज़ा करना जाइज़ हो ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोज़े की ह़ालत में काम नहीं हो सकता तो कोई और रोज़ी का सबब तलाश करें मगर काम की वज्ह से एक रोज़ा भी तर्क नहीं कर सकते और न क़ज़ा कर सकते हैं।

(मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत, 6/309)

1 ... हदीसे पाक में है : जो इस महीने (या'नी रमज़ान) में अपने गुलाम पर तख़फ़ीफ़ करे (या'नी काम कम ले) अल्लाह पाक उसे बख़ा देगा और जहन्नम से आज़ाद फ़रमा देगा।

(شعب الائمان، 3/305، حديث: 3608، ابن خزيم، 3، حديث: 192)

سُوَالٌ : بَا'جُ وَالِدَنْ بَچوں کی سکول سے چُٹی ہو جانے پر ٹنھے مار پڈنے اور نم्बر کटنے سے بچانے کے لیے ڈُٹی اپلیکیشن لیخ کر بے ج دے تے ہیں اور جان پھچان والوں سے ڈُٹے سار्टی فِیکٹ بھی بنवا لئے ہیں । اسی ترہ دफ़تیر میں ہوتا ہے کہ اگر مُلَاجِم کو چُٹی لینا ہو تو وہ بیماری کی ڈُٹی اپلیکیشن بے ج دےتا ہے । کیا اس ترہ ڈُٹی دار خواستہ دے نے والوں کو بھی اس ہدیہ سے پاک "ڈُٹے بیمار ن بنو کی وکِرے بیمار ہو جاؤ گے (7624: حدیث مسلم، 421: حديث الف دروس)" سے ڈبرت ہاسیل کرنی چاہیے ؟

جَوابٌ : جو والِدَن اور مُلَاجِم اس ترہ کر رہے ہیں وہ ڈُٹ بول کر گوناہگار اور انجاہے نار کے ہکدار بن رہے ہیں । جو والِدَن یہ کہ رہے ہیں کہ "بچے بیمار ثے" ہالاں کی وہ جانتے ہیں کہ بچے بیمار نہیں ثے بلکہ مہماں بن کر ہلکا خانا گا اور یونہ بیماری کی ڈُٹی دار خواستہ دے کر چُٹی کرنے والی مُلَاجِم بھی سر و گیرا کرنے گا ہو گا । یاد رکھیے ! بیمار ہونا بُرا نہیں ہے بلکہ بیماری تو رحمت ہے، اُلّا بنتا ڈُٹ بولنے میں آخری کا انجاہ ہے । نیجُ یہ گوناہ کا مرجعِ جسمانی مرجع سے جیسا دا تباہ کون ہے لیہا جا اے سے والِدَن اور مُلَاجِمین پر توبہ فرج ہے । جو مُلَاجِم ڈُٹ بول کر چُٹی کر رہا ہے اس کی تناخواہ تو بیماری میں چُٹی کرنے پر بھی کٹتی ہو گی । (ایس ماؤک اپ پر نیگران نے فرمایا :) پرائیوریت کمپنیوں میں مُعاً ملہ اُلّا لگ ہوتا ہے । جب کہ ہمارے ہانگامے کے مسائل ہیں । اُلّا ہ پاک ہمارے مُفیضیا نے کیرام کو سلامت رکھے، ان کی راہ نو ماری میں ہم نے اک ایسا را فُرم بنا یا ہو گا جس میں O.T., کٹتی اور لئے مینٹ و گیرا کا اینٹی جام بنا ہو گا ہے । ہمارے ہانگامے

अजीरों का ऐसा निजाम है कि अगर कोई बहुत बड़ी इन्डस्ट्री और फेक्ट्री वाला भी इसे देखेगा तो वोह कहेगा कि वाकेई दा' वते इस्लामी के शो' बाजात में अजीरों का एक मिसाली निजाम है। क्यूं कि हमारे हाँ जो भी अजीरों का निजाम है वोह शर्ई कानून के मुताबिक है, येही वज्ह है कि हमारा येह निजाम बहुत सारे अजीरों और इदारों की बचत का ज़रीआ है। (अमीरे अहले سुन्नत العارِيَّةِ كُلُّ مُتَمَّلِّدٍ نے फ़रमाया :) बीमार होने से भी बचेगा और मा'मूली बीमारी में भी कटौती से बचने के लिये नोकरी पर आएगा। याद रखिये ! शर्ई कवानीन पर अमल करने में बरकत है।

(मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/35)

सुवाल : “सनद और तजरिबा” में से कौन सी चीज़ ज़ियादा अहम है? नीज़ ये ही इशार्द फ़रमाइये कि जिस के पास तजरिबा और हुनर है, लेकिन उस के पास तालीम नहीं, क्या उसे “पढ़ा लिखा” कहा जाएगा?

जवाब : इस की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं : 《1》 किसी के पास इलम और तजरिबा दोनों हों तो ऐसा शख्स ज़ियादा काम्याब होता है। 《2》 किसी के पास सिर्फ़ इलम हो हुनर या तजरिबा न हो तो ऐसा शख्स आम तौर पर तजरिबा न होने की वजह से ज़ियादा काम्याब नहीं हो पाता। कई जगहों पर तजरिबे की बुन्याद पर मुलाज़मत दी जाती है हक्का कि सनद भी मांग ली जाती है जिस के बाइस ता'लीम याफ़ता ना तजरिबे कार शख्स बे रोज़ग़ार रह जाता है, जब कि कम पढ़ा लिखा तजरिबे कार शख्स बरसरे रोज़ग़ार हो जाता है, अलबत्ता कभी इस का उलट भी हो जाता है। बहर ह़ाल कभी सनद काम कर जाती है और कभी महारत।

याद रखिये ! سहابہؓ کیرام رضی اللہ عنہم کسیروں ایلمن کے لئے مگر
उن کے پاس مورخہ ساند (آج کی تاریخ کا سٹائیفیکٹ) نہیں تھی، لیہا جاؤ
ایلمن ہونا چاہیے، کیونکہ ساند تو نکلنی بھی بن سکتی ہے، ممکن ہے اس
کے بعد ایلمن ن ہونے کے باعث وجد نوکری میل جائے، مگر تجربہ نکلنی
نہیں ہو سکتا، کیتنے ہی تا' لم یافتہ بے روکنگاری کی وجہ سے خودکشی
کر لے تے ہیں، لیکن تجربہ کار بے روکنگار نہیں رہتا ।

(मल्फ़जाते अमीरे अहले सून्त, 7/419)

सवाल : क्या ऑफिस जाने के लिये रोजे में दाढ़ी मुंडवा सकता हूं ?

जवाब : दाढ़ी मुंडवाना और एक मुट्ठी से घटाना ह्राम और जहन्म में ले जाने वाला काम है। (मल्फूज़ते आ'ला हज़रत, स. 141, फ़तावा रज़्विय्या, 6/505) रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में येह काम करना तो और ज़ियादा बुरा है, अलबत्ता उस का फ़र्ज़ रोज़ा अदा हो जाएगा लेकिन गुनाह करने से रोज़े की नूरानिय्यत जाती रहती है। (फ़तावा रज़्विय्या, 10/556) गुनाह की हलाकत खैज़ियां बहुत ज़ियादा हैं और खुसूसन रमज़ानुल मुबारक और रोज़े में गुनाह करने के बारे में ف़रमाने मुस्तफ़ा مَسْلِيْلُ اللّٰهِ عَنِّيْهِ وَالْهٰوِيْسَلْ ज़ियादा है : जिस ने रमज़ान में कोई गुनाह किया तो अल्लाह पाक उस के एक साल के आ'माल बरबाद फ़रमा देगा। (3688: حديث، 414/2، بِمُبَرَّأَتِهِ) लिहाज़ा बन्दा न रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करे और न रमज़ानुल मुबारक के इलावा। याद रखिये ! ऐसी नोकरी शर्अन जाइज़ नहीं जिस में येह शर्त हो कि रोज़ दाढ़ी मुंडवा कर आना है या दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है लिहाज़ा ऐसी नोकरी को छोड़ कर दूसरी नोकरी इच्छियार करें। (फ़तावा बहरुल उलम, 1/311) येह शर्ई मस्अला है जो मैं ने

बयान किया है। आप किसी अ़ालिमे दीन और मुफ्ती साहिब से पूछेंगे तो वोह भी मेरी बात की ताईद करेंगे। (मल्फूज़ते अमीरे अहले सुन्नत, 7/39)

सुवाल : मेरे पास एक मोटर साइकिल है जिस में पेट्रोल कम्पनी डलवाती है, क्या उस मोटर साइकिल को मैं घर के कामकाज के लिये इस्त'माल कर सकता हूं नीज़ क्या मेरे भाई येह मोटर साइकिल चला सकते हैं ?

जवाब : जिस कम्पनी की तरफ से आप को मोटर साइकिल दी गई है अगर वोह प्राइवेट कम्पनी है और मोटर साइकिल को घरेलू कामकाज के लिये 'इस्ति' माल की इजाज़त भी मिली हुई है तो उसे 'इस्ति' माल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप की सरकारी नोकरी है या कम्पनी की तरफ से घरेलू कामकाज के लिये 'इस्ति' माल करने की इजाज़त नहीं तो जितना उर्फ़ हो सिर्फ़ उतना ही 'इस्ति' माल कर सकते हैं, मगर येह बहुत मुश्किल है कि कोई कम्पनी यूं कहे कि "आप के भाई और दोस्त भी येह मोटर साइकिल 'इस्ति' माल कर सकते हैं।" कम्पनी की मोटर साइकिल को घरेलू कामकाज के लिये 'इस्ति' माल करने में कितना उर्फ़ है इस बारे में मुफ्ती साहिब राहनुमाई फरमाएंगे।

(इस मौक़अ़ पर मुफ्ती साहिब ने फ़रमाया :) बा'ज़ अवकात कम्पनी की तरफ से मुकम्मल इजाजत होती है कि जिस काम में चाहें इस्त'माल करें। बिलफर्ज़ मोटर साइकिल पर ज़ियादा काम होता है तो भी उसी को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जितना महीने भर में इस्त'माल करे और चाहे किसी भी मक्सद में इस्त'माल करे बा'द में कम्पनी उसे इतनी रक़म दे देगी। बहर हाल जैसे कवानीन होंगे उसी के मृताविक अमल करना होगा।

(मल्फजाते अमीरे अहले सन्नत, 7/87)

सुवाल : एक आदमी सरकारी पोस्ट पर है और लोगों से उस के जाती नौँइय्यत के तअल्लुक़ात बन जाते हैं और येह लोग तहाइफ़ ले आते हैं तो क्या इस सूरत में तहाइफ़ कबूल करना रिश्वत के जुमे (हुक्म) में आएगा ?

जवाब : पहले से तअल्लुक़ात और तहाइफ़ का लेनदेन था और बा'द में इस की गवर्नमेन्ट Job (या'नी मुलाज़िमत) लग गई और इस से काम निकलवाया जा सकता है, या'नी क़हरो तसल्लुत़ इसे किसी तरह का हासिल है तो अब भी पहले की तरह नोर्मल लेनदेन है तो येह चलेगा। (बहारे शरीअत्, 2/900, हिस्सा : 12 माखूज़न) अलबत्ता अगर इस के ज़रीए से अपना कोई काम निकलवाना है तो अब पुराने तरीके के मुताबिक़ भी होने वाले तहाइफ़ का लेनदेन रिश्वत में चला जाएगा। (बहारे शरीअत्, 2/901, हिस्सा : 12 माखूज़न) इसी तरह अगर ओहदे की वज्ह से लेनदेन का सिल्सिला बढ़ गया, दी जाने वाली चीज़ की क़ीमत बढ़ गई, साइज़ बढ़ गया और मिक्दार बढ़ गई तो येह ज़ाइद हिस्सा रिश्वत है। (बहारे शरीअत्, 2/900, हिस्सा : 12 माखूज़न) हाँ ! अगर येह शख़्स मालदार हो गया इस लिये आइटम बढ़ा दिये और डिशें बढ़ा दी तो इस का हुक्म अलग है (या'नी क़बूल करने में हरज नहीं)। (बहारे शरीअत्, 2/900, 901, हिस्सा : 12) यूं ही अब इस की खुसूसी दा'वत करना कि अगर येह न आता तो दा'वत ही न होती, तो अगर्चे इस की वज्ह से दो चार और को भी दा'वत दे दी तब भी येह खुसूसी दा'वत रिश्वत में दाखिल है। (बहारे शरीअत्, 2/900, 901, हिस्सा : 12) अलबत्ता मुत्लक़न जो दा'वत होती है वोह रिश्वत नहीं होती जैसे मा तहूत की तरफ़ से शादी की दा'वत आई और आप उस में चले गए। इस में भी अगर आम मेहमानों को सादा डिशें दी

गई और अफ़्सर, निगरान या बड़े ओहदे दारान को स्पेशल डिशें पेश की गई तो येह स्पेशल डिशें रिश्वत में शुमार होंगी । हाँ ! जो सब को खिलाया जा रहा है अगर वोही अफ़्सर या निगरान को भी खिलाया जा रहा है तो रिश्वत नहीं । (मल्फजाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/87)

(मल्फूजाते अमीरे अहले सुन्नत, 7/87)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! जिस को मुलाजिम रखना है उसे मुलाजिम रखने के और जिस को मुलाज़िमत करनी है उसे मुलाज़िमत के ज़रूरी अहंकाम जानना फ़र्ज़ है। अगर हस्बे हाल नहीं सीखेगा तो गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का हक़्कदार होगा और न जानने की वजह से बार बार गुनाहों में मुब्तला होना मज़ीद बरआं (या'नी इस के इलावा)। इस हवाले से मज़ीद मा'लूमात के लिये अमीरे अहले सुन्नत के रिसाले “हलाल तरीके से कमाने के 50 मदनी फूल” और “बहारे शरीअत” जिल्द 3 सफ़हा 104 ता 184 “इजारे का बयान” पढ़ लीजिये।

अगले हफ्ते का रिसाला

